# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस**

प्रकरण सं0 : 109/2022

अनवान :

1. बलवीर पुत्र पीरूराम जाति जाट निवासी राजपुरा त0 भादरा।
2. मांगेराम पुत्र पीरूराम जाति जाट निवासी राजपुरा त0 भादरा।
3. रिशालसिंह पुत्र पीरूराम जाति जाट निवासी राजपुरा त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. कमला पुत्री श्री पीरूराम पत्नी नत्थूराम जाति जाट निवासी राजपुरा हाल चाहरवाला त0 व जिला सिरसा हरियाणा।
2. संतरो पुत्री पीरूराम पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी राजपुरा हाल चाहरवाला त0 व जिला सिरसा हरियाणा।
3. मोहनी देवी पुत्री पीरूराम पत्नी महावीर जाति जाट निवासी राजपुरा हाल रामगढ़िया त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:— प्रतिवादीगण

**दावा बाबत : इस्तकरार हक**

**अन्तर्गत धारा 88-188 राज0काश्त0अधि0 1955**

**उपस्थिति :** वकील श्री सतवीर बैनीवाल : **वादीगण**

वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : **प्रतिवादीगण**

**निर्णय** **दिनांक :** 13.06.2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 210/208 के मु0 नं0 41, 42, 56, 57 की कुल किता 28 की 5.8190है0 जिसमें 5.7560है0 बारानी, 0.0630है0 गै0मु0 रास्ता खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में पीरूराम पुत्र रूघाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। रोही मौजा चक 9 बीएचडी के खाता सं0 64/63 के मु0 नं0 37, 38, 51, 52 की कुल किता 15 का कुल 2.7830है0 में नहरी 2.7700है0 व गै0मु0 खाला 0.0130है0 कृषि भूमि पीरू दतक पुत्र मु0 दोलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रोही मौजा राजपुरा बारानी के खाता सं0 13/18 के मु0 नं0 14, 15, 24, 25 कुल किता 39 की 8.1080है0 खातेदारी कृषि भूमि में अणची पत्नी दोलाराम के नाम से 1/3 हिस्सा, पीरूराम पुत्र दोलाराम के नाम से 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अणची दोला की पुत्री व पीरूराम की पत्नी थी। वादीगण के पिता पीरूराम की मृत्यु दिनांक 08.05.2014 को गांव राजपुरा में हो गई थी। अणची पत्नी पीरूराम की मृत्यु दिनांक 16.11.2019 को गांव राजपुरा में हो चुकी है। कृषि भूमि



Scanned with CamScanner

आज भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता व माता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में बलवीर पुत्र पीरूराम जाति जाट निवासी राजपुरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में मृत्यु प्रमाण पत्र पीरूराम पुत्र दोलाराम प्रदर्श 1 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र अणची पत्नी पीरूराम प्रदर्श 2 ए, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत राजपुरा प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी भिरानी के खाता संख्या 210/208 प्रदर्श 4, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी 9 बीएचडी के खाता संख्या 64/63 प्रदर्श 5, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी राजपुरा बारानी के खाता संख्या 13/18 प्रदर्श 6, जमाबंदी पैतृक कृषि भमि राजपुरा बारानी खाता सं0 7/7 प्रदर्श 7, जमाबंदी पैतृक कृषि भमि राजपुरा बारानी खाता सं0 8/7 प्रदर्श 8, जमाबंदी पैतृक कृषि भमि राजपुरा बारानी खाता सं0 5 प्रदर्श 9, जमाबंदी पैतृक कृषि भमि राजपुरा बारानी खाता सं0 14 व 15 प्रदर्श 10, खोलानामा पीरूराम प्रदर्श 11 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता व माता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने भिरानी व राजपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता व माता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 11 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में तीन पुत्र बलवीर, मांगेराम व रिशालसिंह तथा तीन पुत्रिया कमला, संतरो व मोहनी देवी के अलावा वारिस प्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 210/208 के मु0 नं0 41, 42, 56, 57 की कुल किता 28 की 5.8190है0 जिसमें 5.7560है0 बारानी, 0.0630है0 गै0मु0 रास्ता खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में पीरूराम पुत्र रूघाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। रोही मौजा चक 9 बीएचडी के खाता सं0 64/63 के मु0 नं0 37, 38, 51, 52 की कुल किता 15 का कुल 2.7830है0 में नहरी 2.7700है0 व गै0मु0 खाला 0.0130है0 कृषि भूमि पीरू दतक पुत्र मु0 दोलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रोही मौजा राजपुरा बारानी के खाता सं0



Scanned with CamScanner

13/18 के मु0 नं0 14, 15, 24, 25 कुल किता 39 की 8.1080है0 खातेदारी कृषि भूमि में अणची के नाम से 1/3 हिस्सा, पीरूराम के नाम से 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त वाद भूमि में पीरूराम व अणची का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

## क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 210/208 के मु0 नं0 41, 42, 56, 57 की कुल किता 28 की 5.8190है0 जिसमें 5.7560है0 बारानी, 0.0630है0 गै0मु0 रास्ता खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में पीरूराम पुत्र रूघाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। रोही मौजा चक 9 बीएचडी के खाता सं0 64/63 के मु0 नं0 37, 38, 51, 52 की कुल किता 15 की कुल 2.7830है0 में नहरी 2.7700है0 व गै0मु0 खाला 0.0130है0 कृषि भूमि पीरू दतक पुत्र मु0 दोलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रोही मौजा राजपुरा बारानी के खाता सं0 13/18 के मु0 नं0 14, 15, 24, 25 कुल किता 39 की 8.1080है0 खातेदारी कृषि भूमि में अणची के नाम से 1/3 हिस्सा, पीरूराम के नाम से 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त वर्णित वाद भूमि में पीरूराम व अणची का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 बलवीर, वादी सं0 2 मांगेराम, वादी सं0 3 रिशालसिंह, प्रतिवादी सं0 1 कमला, प्रतिवादी सं0 2 संतरो, प्रतिवादी सं0 3 मोहनी देवी को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़



Scanned with CamScanner